फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व विविध जीसीएमएस नंबर 2020/00035 बअनवान प्रतापचंद बनाम इन्दरमल

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
19/11/24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। उपस्थित वकुलाय की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी श्री मूलसिह यादव द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी गई कि ग्राम मुण्डारा के खसरा नंबर 162/1 रकबा 0.16 हैक्टर किस्म चाही दोयम जाव दोयम प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। प्रार्थी की खातेदारी के अडो–अड अप्रार्थी की खातेदारी भूमि होने तथा आबादी भूमि के नजदीक होने से तथा अप्रार्थी भू–माफिया होने से एवं आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति होने से प्रार्थी की भूमि को लाठियों के बल पर कब्जा कर हडपना चाहता है। जिससे प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपुरणीय क्षति के बिंदु प्रार्थी के पक्ष में होने से अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने की दलील दी गई। इसके विपरित अप्रार्थी अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी द्वारा बहस में जवाब में उल्लेखित तथ्यों को दोहाराते हुये दलील दी गई कि प्रार्थी क्लीन हैंड से न्यायालय में नही आया है। सही स्थिति यह है कि मूल खसरा नंबर 162 रकबा 10.03 हैक्टर के सह खातेदारान के मध्य बंटवाडा होकर अलग–अलग खसरे कायम किये गये। जिसमें खसरा नंबर 162/1 रकबा 2.83 हैक्टर कपुराराम पुत्र भबूताजी के बंट में रखा गया। पटवारी हल्का द्वारा नक्शे में तरमीम सही नही की गई। पैमाने अनुसार नक्शे में रकबा 2.37 हैक्टर ही होता है। कपुराराम ने जमाबंदी में दर्ज अनुसार अपनी खातेदारी भूमि को बेचना शुरू किया। पहला बेचान तारिख 15.04.1986 को प्रार्थी के पक्ष में रकबा 1.12 हैक्टर का किया गया। कपुराराम ने दूसरा बेचान श्रीमति बाली बाई पत्नि नारायणजी को दिनांक 22.12.1999 को रकबा 0.16 हैक्टर का किया। इस प्रकार दोनो बेचान होने के बाद कपुराराम के खाते में 162/1 की शेष जमीन 1.55 हेक्टर रही लेकिन मोके पर कब्जा 1.39 हैक्टर का ही कपुराराम का थां। कपुराराम ने पुनाराम रेबारी को 0.24 हैक्टर व अप्रार्थी को 1.15 हैक्टर भूमि मौके अनुसार बेचना तय किया तथा दिनांक 10.01.2007 को विकय विलेख भी पंजीबद्ध करवा लिया। इस प्रकार कपुराराम द्वारा मौके पर कब्जे अनुसार संपुर्ण भूमि का बेचान करने के बाद कोई भूमि नही रही थी परंतू जमाबंदी में कपूराराम के नाम 162/1 में 0.16 हैक्टर भूमि खातेदारी में चल रही थी। दिनांक 06.11.2013 को कपूराराम से प्रार्थी ने अपने पक्ष में 0.16 हैक्टर का विकय विलेख अपने पक्ष में करवा लिया। जिस विकय विलेख में यह स्पष्ट अंकन किया गया कि उक्त बेचानसुदा कृषि भूमि उक्त खसरा नंबर 162/1 में दक्षिण दिशा की ओर की 0.16 हैक्टर आप द्वितीय पक्षकार को की गई है। तथा उक्त बेचानसुदा भूमि के दक्षिण दिशा के ओर ही आप द्वितीय पक्षकार केता की अन्य कृषि भूमि स्थित है जिससे आप द्वितीय पक्षकार के खातेदारी की कृषि भूमि के अडो–अड लगती हुई कृषि भूमि आप को बेचान की गई है व मौके पर कब्जा भी उसी जगह पर आपका करवाया गया है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा गलत तथ्य प्रस्तुत कर न्यायालय में वाद व उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश कर अस्थाई निषेधाज्ञा चाही हैं परंतू प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 162/1 रकबा 0.16 हैक्टर पर कब्जा नही होने से प्रथम दृष्ट्या मामला ही प्रार्थी के पक्ष में नही बनने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किये जाने की दलील दी गई। पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड के अध्ययन से ज्ञात है कि उभयपक्षों के मध्य विवाद संबंधी मौखिक व अभिलेखीय साक्ष्य के अभाव में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपुरणीय क्षति के	

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
	बिंदुओ की कसौटी पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खरा नही उतरने से ग्राम मुण्डारा के खसरा नंबर 162/1 रकबा 0.16 हैक्टर के संबंध में प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली जिला - पाली (राज.) सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली	